



ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्र.3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
 (A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. मनोज कुमार
 Pro. Manoj Kumar
 कुलानुशासक/Proctor

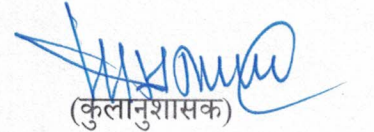
दूरभाष / Phone : + 91-7152-247124
 मोबाइल / Mobile : + 91-9422404277
 ईमेल / Email : manajkumardean@rediffmail.com

पत्रांक: 011/2018-19/कुला.जा.क्र. 114
 दिनांक: 06.05.2019

सूचना

वर्धा में पानी की कमी और छात्रावास के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ग्रीष्मावकाश की अवधि में सभी छात्रावास खाली करा लिए जाएं। अंतःवासियों को निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षा की समाप्ति के बाद छात्रावास खाली कर दें। कोई भी कीमती सामान कमरे में नहीं रखें। किताब आदि आलम्रीरा में रख दें। बिछावन, चादर आदि को बांध कर सुरक्षित कर लें। अगर कमरे में सुरक्षित स्थल पर सामान नहीं रह सके/अतिरिक्त हो/अधिक हो तो वह केयर-टेकर के जिम्मे लगा दें। केयर-टेकर छात्रावास हॉल में सामान रखेंगे। हॉल हमेशा बंद रखा जाएगा। पी-एच.डी. एवं एम.फिल. के शोधार्थी क्षेत्र कार्य/पुस्तकालय कार्य में उक्त अवधि का उपयोग करें इसके लिए वे अपने शोध-निर्देशक से अनुमति प्राप्त कर लें।

अंतःवासी पुनः छात्रावास आबंटन के लिए छात्रावास पंजीयन फार्म भरकर ही अवकाश पर जाएं। छात्रावास पूर्व आबंटित कमरा छोड़ना पड़ सकता है। अवकाश की अवधि के बाद उन्हें छात्रावास शुल्क सहित एक माह का मेस शुल्क (जो टेंडर द्वारा निर्धारित होगा) जमा करने के उपरांत ही छात्रावास की सुविधा दी जाएगी। अपने कमरे की चाबी केयर-टेकर को सुपुर्द कर दें। अंतःवासियों को मेस में खाना अनिवार्य होगा।


 (कुलानुशासक)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. उप-कुलानुशासक
4. सभी छात्रावास अधीक्षक-आवश्यक कार्रवाई हेतु
5. लीला विभाग -वेबसाइट पर अपलोड हेतु